1

न्यायालयः—अमनदीप सिंह छाबड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

दाण्डिक प्रकरण कमांक 47 / 2017 संस्थित दिनांक 31.01.2017 फा.नं.आर.सी.टी.211 / 2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखंड, जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियोजन।

विरुद्ध

1.लिलत पंचितलक पिता सम्भुलाल, उम्र—24 साल, 2.सम्भुलाल पिता लखनलाल पंचितलक, उम्र—65 साल, दोनों जाति मरार, दोनों निवासी बछेरापाठ बाहकल थाना बिरसा जिला बालाघाट।अभियुक्तगण।

🚓 निर्णय ::--::

दिनांक 30.06.2017 को घोषितः:-

- 1— अभियुक्त लित पंचितलक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 एवं मो.व्ही. एक्ट की धारा—146/196 के तहत् आरोप है कि उसने दिनांक—27.01.2016 को समय करीब 18:00 बजे शंकर नागेश्वर के घर के सामने पल्हेरा से मण्डई मेन रोड में वाहन मोटर सायिकल क्रमांक सी.जी. 04/सी.एल./9167 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, उक्त वाहन को बिना वैध बीमा के चलाया तथा आरोपी सम्भुलाल पंचितलक पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146/196 का आरोप है कि उसने मोटर सायिकल क्रमांक सी.जी.04/सी.एल./9167 को बिना वैध बीमा के चलवाया।
- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि बिरसा थाना में बिरसा अस्पताल से तहरीर कमांक 74/16 दिनांक 27.11.2016(मला. अस्पताल तहरीर क्रमांक 49 / 16 दिनांक 28.11.2016) की जांच की गई। अस्पताल तहरीर जांच दौरान आहत प्रार्थी एवं गवाहों के कथन, मेडिकल मुलाहिजा रिपोर्ट के आधार पर आरोपी मोटर सायकिल कमांक सी.जी.04सी.एल.9167 का चालक ललित पंचतिलक ग्राम बछेरापाठ का कृत्य धारा २७७, ३३७, ३३८ ता.हि. १८४ मो. व्ही.एक्ट का घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आहत प्रार्थी, गवाहों के कथन लेख किये गये। घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया। सी.एच.सी. बिरसा एवं मेडिकल कालेज नागपूर की बेड-हेड टिकिट(मेडिकल रिपोर्ट) एवं एक्स-रे रिपोर्ट प्राप्त की गई। एक्स-रे रिपोर्ट में डॉक्टर साहब द्वारा नो बोन इंजुरी लेख किया गया है। घटना में प्रयुक्त आला जर्रर मोटर, मूल दस्तावेज विधिवत जप्त किये गये। वाहन चालक द्वारा घटना में प्रयुक्त वाहन का बीमा पत्र पेश नहीं किये जाने से उसे विरूद्ध धारा 146 / 196 का ईजाफा किया गया तथा घटना में प्रयुक्त वाहन आरोपी वाहन मालिक के विरूद्ध धारा 146 / 196 मो.व्ही. एक्ट का अपराध सबूत पाये जाने से अभियोग पत्र क 04 / 17 दिनांक 22.01.17 को तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।



<u>फा.नं.आर.सी.टी.211 / 2017</u>

3— अभियुक्त लिलत को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 338 एवं मो.व्ही. एक्ट की धारा—146 / 196 तथा आरोपी सम्भुलाल पंचतिलक को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146 / 196 के अपराध के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान आहत ने अभियुक्त लिलत से राजीनामा कर लिया है। अतः अभियुक्त लिलत को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—338 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा—146 / 196 का अपराध तथा आरोपी सम्भुलाल के विरुद्ध धारा—146 / 196 का अपराध शमनीय नहीं होने से विचारण किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

- 1. क्या अभियुक्त लिलत ने दिनांक—27.01.2016 को समय करीब 18:00 बजे शंकर नागेश्वर के घर के सामने पल्हेरा से मण्डई मेन रोड में वाहन मोटर सायिकल कमांक सी.जी.04/सी.एल./9167 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
- 2. क्या अभियुक्त ललित ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध बीमा के चलाया ?
- 3. क्या अभियुक्त सम्भुलाल ने घटना दिनांक समय व स्थान पर मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.04/सी.एल./9167 को बिना वैध बीमा के चलवाया ?

विचारणीय बिन्दू कमांक-1 का निष्कर्ष :-

साक्षी कमल (अ०सा0-01) ने कहा है कि वह आरोपी ललित को जानता है। घटना करीब 3-4 माह पूर्व ग्राम बछेरापाठ मेन रोड की शाम 7 बजे की है। घटना के समय वह आरोपी ललित की मोटर सायकिल में बैठकर ग्राम बाकल से वापस अपने घर आ रहा था, तभी बछेरापाट के पास उनकी मोटर सायकिल अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे उन्हें चोटें आई थी। घटना में उसे मुँह पर चोटें आई थी और उसके दांत टूट गये थे। घटना के बाद उसे ईलाज के लिये बिरसा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहाँ से बालाघाट रिफर किया गया था तथा उसके बाद उसे आगे के ईलाज के लिये नागपूर अस्पताल में भर्ती किया गया था। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। उसने पुलिस को घटनास्थल बता दिया था और उसके बताये अनुसार पुलिस ने मौका नक्शा प्र.पी.01 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दुर्घटना में किसी की गलती नहीं थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपी ललित अपनी मोटर सायकिल को तेज रफतार और लापरवाहीपूर्वक चलाकर रोड पर बैल से टकरा दिया था, जिससे वे दोनों मोटर सायकिल सहित गिर गये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि घटना के समय आरोपी मोटर सायकिल को तेज गति से नहीं चला रहा था। साक्षी ने यह भी कहा है कि घटना आरोपी की गलती से नहीं हुई थी। साक्षी ने यह भी कहा है कि घटना के समय बैल सामने से दौड़कर आकर उन लोगों से टकरा गया था, जिससे उनकी मोटर सायकिल गिर गईं थी। साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने पुलिस को आरोपी द्वारा मोटर सायकिल तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाने वाली बात नहीं बताई थी।

साक्षी रामभजन साहू (अ०सा०-02) ने कहा है कि वह दिनांक 08.12.16 को थाना मलाजखण्ड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अस्पताल तहरीर कमांक 49/16 दिनांक 28.11.16 जांच हेत् प्राप्त हुई थी, जिसकी उसने जांच की थी। जांच के दौरान आहत कमल पर्चेश्वर पिता तेजराम से पूछताछ कर कथन लेख किया था। प्रार्थी के कथन मेडीकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी की मोटरसाइकिल क्रमांक सी.जी.04 / सी.एल-9167 का चालक ललित पंचतिलक ग्राम बछेरापाठ का कृत्य अपराध धारा २७७, ३३७, ३३८ भा.दं०ंस० एवं धारा 184 मो.व्ही.एक्ट का घटना घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था, प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए एंव बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। केस डायरी विवेचना हेत् प्राप्त होने पर दिनांक 09.12.16 को प्रार्थी कमल पिता तेजराम पंचेश्वर की निशांदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.01 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 17.12.16 को ललित पंचतिलक से गवाहों के समक्ष मोटरसाइकिल चालक से एक लाल कलर की मोटरसाइकिल हीरोहोण्डा सी.डी.100एस.एस क्रमांक सी.जी.04/सी.एल-9167 मय दस्तावेजों के जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.03 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही गवाहों के समक्ष आरोपी पंचतिलक को अभिरक्षा में लेकर उपस्थिति पंचनामा प्र.पी.04 है तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी ललित को धारा-41ए जा०फौ० के अंतर्गत माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु गवाहों के समक्ष विधिवत नोटिस तामील किया था। प्र.पी.05 के अनुसार वाहन मालिक संभुलाल को धारा 133 मो.व्ही.एक्ट का नोटिस दिया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा बी से बी भाग पर प्राप्तकर्ता संभुलाल के हस्ताक्षर है। उक्त नोटिस का जवाब प्र.पी.06 है, जिसमें ए से ए भाग पर वाहन मालिक संभूलाल के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 21.12.16 को वाहन का मैकेनिकल परीक्षण काशीराम से कराया गया था। उसके द्वारा विवेचना के दौरान कमल पंचेश्वर, गवाह सोमलाल, देवीलाल, सजनबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। आरोपी चालक द्वारा वाहन का बीमा पेश न करने पर मो.व्ही.एक्ट की धारा 146/196 का ईजाफा किया गया था। आरोपी चालक ललित पंचतिलक का कृत्य अपराध धारा–279, 337, 338, भा.दं०स० 184, 146 / 196 मो.व्ही.एक्ट में सबूत पाये जाने से अभियोग पत्र क 04 / 17 दिनांक 22.01.17 को तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तृत किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मौकानक्शा में घटनास्थल से मुख्य सड़क की दूरी अंकित नहीं है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि दूरी इसलिए अंकित नही है, क्योंकि उसने मौकानक्शा थाने में बैठकर बनाया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मौकानक्शा में स्वतंत्र साक्षी देवीलाल व सोमलाल के पिता का नाम उल्लेखित नहीं है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि जप्ती की कार्यवाही गवाहों के समक्ष नहीं की गई थी। साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने गवाहों के बयान अपने मन से लेख किया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने मैकेनिकल परीक्षण रिपोर्ट में जांचकर्ता चालक को कितने वर्ष का अनुभव है लेख नहीं किया है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है क उसने परीक्षण रिपोर्ट में परीक्षणकर्ता काशीराम से कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाकर स्वयं तैयार कर लिया था। साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने आरोपी के विरूद्ध झूटा प्रकरण तैयार कर न्यायालय में पेश किया है।

7— भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 के अपराध हेतु यह सिद्ध करना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा लोकमार्ग पर वाहन को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक रीति से चलाया गया हो। अभियोजन साक्षियों द्वारा अपनी साक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं किये गये है। घटना के आहत कमल अ.सा. 01 ने अभियुक्त की मोटर सायिकल के सामने बैल आ जाने के कारण दुर्घटना होने के कथन किये हैं। उक्त साक्षी ने अभियुक्त के वाहन की गित अधिक होने के संबंध में कोई कथन नहीं किये है तथा घटना में अभियुक्त की गलती न होना व्यक्त किया है। अन्य किसी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में परिस्थितियाँ स्वयं प्रमाण है के सिद्धांत के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध मात्र विवेचक साक्षी की साक्ष्य के आधार पर कोई विपरीत निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियुक्त लित को भा.दं०ंस0 की धारा—279 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु कमांक-02, 03 एवं 04 का निष्कर्ष :-

विवेचक साक्षी रामभजन साहू (अ०सा०–०२) के अनुसार आरोपी चालक द्वारा वाहन का बीमा पेश न करने पर मो.व्ही.एक्ट की धारा 146/196 का ईजाफा किया गया था। आरोपी चालक ललित पंचतिलक का कृत्य अपराध धारा-279, 337, 338, भा.दं०ंस० 184, 146/196 मो.व्ही.एक्ट में सबूत पाये जाने से अभियोग पत्र क 04/17 दिनांक 22.01.17 को तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तृत किया गया था। घटना के आहत परिवादी कमल अ.सा.०1 ने घटना के समय अभियुक्त द्वारा वाहन चलाने के कथन किये है। अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं दी गई है कि घटना के समय वह अन्यत्र था अथवा उसके द्वारा वाहन चालन नहीं किया जा रहा था। साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में भी ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं किये गये है। दुर्घटना के समय वाहन का बीमा होने के विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार अभियुक्त पर था, क्योंकि विवेचक साक्षी द्वारा अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में उक्त तथ्य को अस्वीकार किया गया है, परन्तु अभियुक्त द्वारा उक्त संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। घटना के समय अभियुक्त द्वारा वाहन चालन दर्शित है। ऐसी स्थिति में यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त द्वारा घटना के समय वाहन को बिना बीमा के चलाया गया तथा वाहन मालिक अभियुक्त सम्भुलाल द्वारा घटना के समय वाहन को बिना बीमा के चलवाया गया। फलतः अभियुक्त ललित को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-146 / 196 तथा अभियुक्त राजेश को मोटर व्हीक्ल एक्ट की धारा 146 / 196 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

9— अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये उन्हें अपराधी परवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रवधानों का लाभ देना अथवा उनके विरूद्ध नर्म रूख लिया जाना उचित नहीं होगा। फलतः उन्हें एक उचित दण्ड देने की आवश्यकता है।

10— अतः अभियुक्त ललित को मोटर यान अधिनियम की धारा 146/196 के अपराध के लिए कमशः 1000/—(एक हजार) तथा अभियुक्त सम्भुलाल को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा—146/196 के अपराध के लिये 1,000/—(एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है। अर्थदंण्ड की राशि अदा ना करने पर अभियुक्तगण को अर्थदण्ड की राशि के लिए एक—एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।

- 11. अभियुक्तगण प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहे है, उक्त संबंध में धारा–428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र बनाया जावें जो कि निर्णय का भाग होगा।
- 12. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 17. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटर सायकिल हीरो एक लाल कलर की हीरोाहोण्डा रिजस्ट्रेशन सी.जी.04सी.एल.9167 मय दस्तावेजों के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष मे उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।
- 14. अभियुक्तगण को निर्णय की प्रतिलिपि धारा 363(1) द्र.प्र.सं. के तहत निशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

सही / –

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.) सही / –

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

